राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

क्रमांकः राम/प-2(13)/रातस/बैच-29/2019/ 12123   दिनांक : 18/12/19

-ःनोटिसः-

मण्डल के आदेश क्रमांक राम/प-2(13)रातस/बैच-29/2019/6121 दिनांक 1.07.19 द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2016 में सफल 220 अभ्यर्थियों को नायब तहसीलदार पद पर 02 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्ति प्रदान की जाकर दिनांक 03.07.2019 को प्रातः 11.30 बजे तक आवश्यक रूप से निदेशक, आर.आर.टी.आई. अजमेर एवं प्राधानाचार्य, ए.पी.आर.टी. टोंक को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। साथ ही आदेश में यह अंकित किया गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 07 दिवस पश्चात् तक भी रिपोर्ट नहीं करते है और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते है तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझें जावेंगे। जिस क्रम में कार्यग्रहण नहीं करने के फलस्वरूप 21 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश मण्डल के आदेश क्रमांक 10479 दिनांक 07.11.19 द्वारा निरस्त किये गये।

उक्त आदेश के क्रम में निम्नांकित अभ्यर्थियों ने पुनः अभ्यावेदन पत्र प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण करवाने हेतु निवेदन किया है, जिनके अभ्यवेदनों पर सक्षम स्तर पर विचार किया जाकर इन्हें अंतिम अवसर दिये जाने का निर्णय लिया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	जन्मतिथि	मेरिट क्रमांक	श्रेणी (वर्टिकल एवं हॉरिजेन्टल)
1	हरसहाय मीणा	18.05.1985	694	ST, RG
2	महेन्द्र सिंह गुर्जर	14.01.1985	820	MB
3	रमेश चंद मीणा	25.01.1985	764	ST
4	विजयपाल	05.09.1988	225	BC
5	हेमेन्द्र कुमार मीणा	27.07.1988	827	ST

अतः उक्त अभ्यर्थीयों को निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 26.12.2019 तक आवश्यक रूप से अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें। उक्त दिनांक 26.012.2019 के पश्चात् आप की नायब तहसीलदार पद पर नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जावेगी। उक्त दिवस के पश्चता् किसी भी प्रकार के प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

आदेशानुसार

निबंधक
राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

क्रमांक सम/ 12124-35   दिनांकः- 18/12/19

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1- निजी सचिव, मा. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
2- संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3- निदेशक, आर.आर.टी.आई. अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि सम्बंधित को जरिए रजिस्टर्ड डाक उक्त नोटिस की तामिली आवश्यक रूप से करावें।
4- प्राधानाचार्य, एपीआरटीएस टोंक को प्रेषित कर निवेदन है कि सम्बंधित को जरिए रजिस्टर्ड डाक उक्त नोटिस की तामिली आवश्यक रूप से करावें।
5- प्रभारी अधिकारी (कम्प्यूटर) राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि आवश्यक रूप से उक्त नोटिस को वेबसाईट पर आज ही अपलोड करावें।
6- जरिए रजिस्टर्ड डाक सम्बंधित श्री/श्रीमती/सुश्री...
7- आदेश पंजिका/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निबंधक (रातस)
राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर